

46 (1) pro (e)
 23 I.A. with the
 permission by C.R.D.C.
 Sindhige vide case no. 37/
 16-17
 order dt
 16-10-17



सिंज
 संजय
 28-10-17

विक्रय पत्र

§ 18 लेख्यकारी:- श्री संजय मिंज पिता स्व० जोसेफ मिंज, जाति-
 उराँव, पेशा- कृषि, निवास ग्राम- सामटोली, धाना-सिमडेगा,
 जिला- सिमडेगा ।

आधार कार्ड संख्या 2920 1927 0721


... .. विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या:- 411/2017
 अचल वस्तु प्रिवत प्रतिबंधित
 की सूची में सम्पदा का
 खाला संख्या गरी है।
 31-10-17

श्री संजय मिंज
 पिता श्री जोसेफ मिंज
 पेशा कृषि
 निवास सामटोली
 जिला सिमडेगा
 आधार कार्ड संख्या 2920 1927 0721

पति- श्री जोसेफ मिंज
 माता- धोरोजी देवी
 धाना- सिमडेगा
 जिला- सिमडेगा

28-10-17



संजय सिंघ
31-10-17



31-10-17 10 to 1

Faint, illegible text, possibly a stamp or form header

संजय सिंघ
संजय सिंघ
संजय सिंघ
संजय सिंघ
संजय सिंघ

Faint, illegible text, possibly a signature or official stamp

§2§ लेख्यधारिणी:- श्रीमति किरण भिज पति श्री फेलिक्स अणुप
खलखो, जाति- उराँव, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- खिजरी
सामटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा।

आधार कार्ड संख्या 4335 1525 0113

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका।

शमथ-पत्र संख्या:- 412/2017

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्राधिक
सदा सर्वदा के लिए होता है।

§4§ मूल्य:- मोबलिंग तीन लाख साठ हजार रुपये अर्थात् 3,60,000/-
रुपये होता है।

§5§ सम्पत्ति:- सराजियात अन्दर मोजा- खिजरी सामटोली,
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 105, वार्ड नं० 6, सदर रजिस्ट्री
ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 168 एक सौ अरसठ
प्लॉट नं० 2716 सताईस सौ सोलह रकबा 0.92 एकड़ में से
0.09 एकड़ नौ डिसमिल आवासीय जमीन, जिसपर किसी
प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश,

दक्षिण:- परती पहाड़ का अंश में 10 फीट का कच्चा रास्ता,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश,

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश।

मालगुजारी 5 पैसा प्रति पैसा अलावे सेस सलाना।

होलिडिंग नं० 0060000077000एम.०

लिखित पत्र
28-01-17

28/1/2017

Manju Keshav

So. Prasad Keshav

Vijay - Samdahi

P-3 + Dist - Simdega

§ 18 मुझे मुख्यकारी को बिमारी का इलाज कराने एवं मकान बनाने हेतु रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैं लेख्यधारिणी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रुपये देना स्वीकार किया।

§ 20 इसलिए मैं अपनी इच्छा से शरीर व मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारिणी को उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा।

§ 30 मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन मेरी माता मेरी मिंज की खरीदगी है जिसे उन्होंने वजरिये निबंधित केवाला पट्टा संख्या 664 दिनांक 08.10.1991 ई०, बुक संख्या 1, भोल्युम संख्या 36, पृष्ठ संख्या 247 से 250 तक जिसका निबंधित सदर रजिस्ट्री कार्यालय सिमडेगा में हुई है तथा मालगुजारी की रसीद मेरी माता मेरी मिंज के खास नाम से कटती है जो पंजी II के भोल्युम संख्या III पृष्ठ संख्या 121 में दर्ज है। मेरी माता एवं पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनके मृत्यु के बाद वर्णित जमीन उत्तराधिकार में आपसी जबानी शिवादी बँटवारा में मुझे प्राप्त हुआ है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है। खतियान के आधार पर उक्त जमीन कायमी है तथा रयत का नाम सुखु उराँव वगैरह है

संजय मिंज
28-10-17

एवं लगान पानेवाले का नाम मैनेजर इन्कवर्ड स्टेट मीन जानिब टिकैत श्रीनिवास हुकुम सिंह देव दर्ज है ।

§4§ चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 37/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 16.10.2017 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 882 दिनांक 17.10.2017 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेख्यधारिणी अपनी जमीन पर कांक्ज वो दखलदार होकर अपना जैसा फायदा का उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंकल अधिकारी, सिमडेगा के काय लिय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजहूआ के तहत नहीं है ।

सिंघु सिंघु
28.10.17

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

सुजय मिश्र

28-10-17



समाप्त किया जाता है कि लेख्यकारी को बाएँ हाथ की पाँचों अंगुलियों को धाँप में समझ लिया गया।

Jaduman Singh
Aan
28-10-17

सुजय मिश्र

28-10-17

मैं लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

किरण मिश्र

28-10-17



किरण मिश्र

28-10-17

समाप्त किया जाता है कि लेख्यधारिणी को बाएँ हाथ की पाँचों अंगुलियों को धाँप में समझ लिया गया।

Jaduman Singh
Aan
28-10-17

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही/-

Raduman Singh
प्रारूपकर्ता *del*
तारीख:- 28-10-17

सिंघ
28-10-17

प्रमाणित किया जाता है कि यह विक्रय पत्र दस्तावेज कुल छः पन्नों का है जो खण्ड रहित वो नक्सा सहित है।

टंकक
मो० मकसुद
98-10-2017

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा।

संलग्नक :-

1. बिक्रेता, क्रेता एवं पहचानकर्ता के आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. शेड्यूल, अंतिम आदेश एवं अंचल रिपोर्ट का सच्ची प्रतिलिपि,
3. केवाला पट्टा का सच्ची प्रतिलिपि का छायाप्रति,
4. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
5. फार्म संख्या 1 का मूल प्रति,
6. ट्रेस नक्सा का मूल प्रति एवं सर्वे नक्सा का छायाप्रति,